कार्यालय--प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 2280/12–1, दिनांक, कालसी, 04/03/ 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
ओ0एन0जी0सी0 अस्पाल के सामने, कमलानगर, देहरादून।

विषय : **जनपद--देहरादून के विधानसभा–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/WATER/41158/2019)।**

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–666 / 9–1 भूमि / 10, दिनांक 02.03.2021.

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक–1180 / 12–1, दिनांक 07.01.2021 के द्वारा आपको रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव पर व्यय ₹ 378200.00 तथा एन0पी0वी0 की देय धनराशि ₹ 393128.00 की धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया था। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उक्त पाईप लाईन कितनी व्यास की है, का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण एन0पी0वी0 की धनराशि की मांग की गई थी।

आपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से Forest Conservation Act 1980 एवं Forest Conservation Rule-2003 (Guidelines & Clarifications) के पेज नं0–54 पर अंकित Clause 3.5 के प्राविधानों के अनुसार टैंक एवं भूमिगत पाईप लाईन (Upto 4" diameter) हेतु 1.00 है0 तक की वन भूमि पर एन0पी0वी0 की धनराशि देय नहीं है, का उल्लेख करते हुए जनपद–देहरादून के विधानसभा–विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि को कम करने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में उक्त पेयजल योजना में एन0पी0वी0 की धनराशि को छोड़ते हुए देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	दर प्रति है0	देय धनराशि (रू0 में)
1	रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसमें 10 वर्षो के रखरखाव पर व्यय	0.628	-	378200.00

अतः रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसमें 10 वर्षो के रखरखाव पर व्यय हेतु ₹ 3,78,200/– का चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति में शर्त सं0–01 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा सैद्वान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या अपने स्तर से 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु लिखा जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Survey133
Raju